न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी
(पीठासीन अधिकारीः रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.)

प्रार्थीगण/परिवादक:–

श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण/अभियुक्तगणः–

1. अर्पित जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन, खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक
   फर्मः–मैसर्स आदिनाथ एजेंसी, क्लोथ मार्केट, कुचामन सिटी
   निवासीः– आथुना दरवाजा, कुचामन सिटी

2. पंकज कुमार पुत्र श्री शंकर दास, मालिक
   फर्मः–मैसर्स श्री बालाजी मॉर्केटिंग, हेप्पी स्कुल के पास, रानी बाजार, बीकानेर
   निवासीः– डॉ मेहता गली, मकान न. बी–9/581, मुकतासर रोड़, कोटकपुरा, फरीदकोट, पंजाब
3. Shahin Mohmed Husein Merchant भागीदार
   मैसर्स– श्री एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी, सर्व न. 184, ब्लॉक 144, प्लॉट न. 4बी, एट मालपार, टालूका घुघा, भावनगर
4. Mohmed Husein Dost Mohamed Merchant भागीदार
   मैसर्स– श्री एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी, सर्व न. 184, ब्लॉक 144, प्लॉट न. 4बी, एट मालपार, टालूका घुघा, भावनगर
5. Gulnaz Mohsinally Rafik भागीदार
   मैसर्स– श्री एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी, सर्व न. 184, ब्लॉक 144, प्लॉट न. 4बी, एट मालपार, टालूका घुघा, भावनगर
6. मैसर्स– श्री एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी, सर्व न. 184, ब्लॉक 144, प्लॉट न. 4बी, एट मालपार, टालूका घुघा, भावनगर

प्रकरण संख्या :–01/2024

" अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 52 "

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थितः–

1. अभियुक्तगण संख्या 01, 02
2. अभियुक्तगण संख्या 03, 04, 05 एवं 06 की ओर से प्रतिनिधि श्री राहिल

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

26/02/2024

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम अर्पित जैन एंव अन्य

—: निर्णय :—

दिनांक :— 26.02.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक श्री विशाल मित्तल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2023 को समय 11.30 ए.एम. पर फर्म मैसर्स आदिनाथ एजेंसी, क्लोथ मार्केट, कुचामन सिटी पर पॅहुचा। वहां पर उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अर्पित जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन खाद्यकरोबारकर्ता एंव मालिक की हैसियत से मौजूद होना वताया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र/रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, स्वयं के आधार कार्ड आगामी खरीद बिल की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रतिया पेश कि, जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता एंव गवाहों की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर चोकलेट (चोकोजी ब्राण्ड) के 330 ग्राम वाले 10 पैकेट एक रैक में आमजन को विक्रय हेतु रखे हुए मिले। मुझे इनमें अमानक/मिथ्याछाप का शक होने पर गवाहान की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ आथुना दरवाजा, कुचामन सिटीके 330 ग्राम वाले 4 पैकेट मूल ही सिल्ड पैक में खाद्यकारोबारकर्ता अर्पित जैन को सूचित करते हुए वास्ते नमुना जांच हेतु खरीदा जिसकी किमत अर्पित जैन के बताए अनुसार रू. 480/—नगद (अक्षरे रूपये चार सौ अस्सी मात्र) देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता अर्पित जैन के हस्ताक्षर है। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) एफएसएस एक्ट 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अन्तर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना गवाह के सामने खाद्यकारोबारकर्ता को प्रपत्र 5ए में भरकर दिया तथा असल प्रति पर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी, गवाह व खाद्यकारोबारकर्ता के हस्ताक्षर है। प्रपत्र 5ए देने से पहले खाद्यकारोबारकर्ता को बता दिया था कि यह आथुना दरवाजा, कुचामन सिटीका नमूना एफएसएसए एक्ट के तहत वास्ते जां[illegible] रहे है। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के [illegible]

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिका[illegible] ने विक्रेता ए[illegible]वाहान की उपस्थिति में चार अलग—अलग लेबल तैयार क[illegible] सीओ एवं मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी नागौर का कोड व क्रमांक Q- 2214 लिखा ए[illegible] अन्य विवरण अकिंत कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात प्रत्येक नमूना जारों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर सिरों को सफाई से मोड़कर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2214 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये। कारोबारकर्ता ने भी नियमानुसार पेपर स्लिप व खाकी कागज को कोस करते हुए हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अर्पित जैन एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

(5) फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पँहुच कर फार्म नंबर 6 की प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना सील लगाई, जिससे नमूना सील किया था। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर, राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटर कवर में चपडी से सील बन्द एवं सील मोहर कर डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/263 दिनांक 24.04.2023 के संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/382/Act/2023/411 दिनांक 10.04.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि लिया गया नमुना चोकलेट (चोकोजी ब्राण्ड) मिसब्राण्डेड है। जॉच रिपोर्ट मूल संलग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

(7) यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स आदिनाथ एंजेसी, क्लोथ मार्केट, कुचामनसिटी को सूचना उपलब्ध करवाने है[illegible] पत्र दिनांक 27.06.2023 तथा मैसर्स आदिनाथ एजेंसी, क्लो[illegible] से प्राप्त पत्र व खरीद का बिल की छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के [illegible] संलग्न है।

(8) यह है कि खाद्य सुरक्षा अधि[illegible] मैसर्स श्री बालाजी मार्केटिंग, हैप्पी स्कुल के पास, रानी बाजार, बीकानेर को प्रेषित पत्र [illegible]दिनांक 24.07.2023 तथा मैसर्स श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

बालाजी मॉर्केटिंग से प्राप्त पत्र, खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी सर्टिफिकेट व आगामी खरीद का बिल की छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(9) यह है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स श्री एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी, भावनगर को प्रेषित पत्र दिनांक 24.08.2023 तथा मैसर्स श्री एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी, भावनगर से प्राप्त पत्र, खाद्य अनुज्ञा पत्र, जीएसटी सर्टिफिकेट व भागीदारो के आधार कार्ड की स्वहस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित छाया प्रति न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(10) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ चोकलेट (चोकोजी ब्राण्ड) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव खाद्य सुरक्षा एंव मानक नियम 2020 अध्याय 2 Contravention of Regulations No. 5(3)(b)(ii)(D) का उल्लंघन पाया, जो इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कुचामनसिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(11) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 09.02.2024 को अभियुक्तगण ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया–

1. अभियुक्त संख्या 01 श्री अर्पित जैन मैसर्स आदिनाथ एजेंसी कुचामन सिटी ने अपने जवाब में बताया कि उक्त खाद्य पदार्थ चोकलेट (चोकोजी ब्राण्ड) का नमुना Misbrand होना पाया गया। हमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की जानकारी नहीं थी। हम बहुत सारे उत्पाद मंगवाते है, उनका मैं सत्यापन नहीं करवा पाया।
2. अभियुक्त संख्या 02 श्री पंकज कुमार मैसर्स बालाजी मार्केटिंग बीकानेर ने अपना जवाब पेश कर बताया कि मेरा व्यवसाय ट्रेडिंग का है। मैं आगे से माल मंगवाकर बेचता हूँ तथा मेरे प[illegible] सारे उत्पाद आते है, उनका मैं सत्यापन नहीं करवा पाया।
3. अभियुक्तगण संख्या 3 से 6 की ओर से [illegible]के प्रतिनिधि श्री राहिल ने जवाब पेश कर बताया कि [illegible] पदार्थ चोकलेट (चोकोजी ब्राण्ड) में सिनथेंटिक खाद्य रंग tatrazine पाया गया है, जो FSSAI मानक के अनुरूप है। सैम्पल पुर्णतया सुरक्षित है। अभियुक्त का जवाब शामिल मिसल किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एंव प्रस्तुत जवाबों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं LS/382/Act/2023/411 दिनांक 10.04.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:—

Opinion-The sample of Chocolate (Chocozay Assorted Truffles brand) bearing Code no. and Sr. no. Q-2214 of Designated Offier cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur is Misbranded Under Section 3 (1)(zf)(C)(i) of Food Safety and Standards Act 2006.

अतः खाद्य कारोबारकर्ता अर्पित जैन से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ चोकलेट (चोकोजी ब्राण्ड) नमूना नं. Q–2214 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत मिसब्राण्डेड पाया गया है। खाद्य कारोबारकर्ता द्वारा मिसब्राण्डेड खाद्य पदार्थ विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) एंव धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii), 52 एंव 3 (1) (zf) (C) (i) इस प्रकार है:—

धारा 26:— खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्व:—

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु का:—

(ii) जो मिथ्या छाप वाली या अवमानक हैं या उसमें बाह्य पदार्थ मिले हैं

धारा 52

(1) कोई व्यक्ति जो चाहे स्वयं या अपनी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी खाद्य वस्तु का जो मिथ्या छाप की है, मानव उपभोग के लिए विक्रय हेतु विनिर्माण या भंडारण करता है या विक्रय या वितरण या आयात करता है, शास्ति का, जो तीन लाख रूपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

धारा — 3

(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(zf) "मिथ्याछाप वाला खाद्य" से कोई खाद्य पदार्थ अभिप्रेत है—

(C) यदि पैकेज में अन्तर्विष्ट पदार्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

(i) कोई कृत्रिम सुरूचिकारक, कृत्रिम रंजक या रायायनिक परिरक्षी से युक्त है और पैकेज उस तथ्य का कथन वाला घोषणात्मक लेबल नहीं लगा है या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं के अनुसार उस पर लेबल नहीं लगाया गया है या उसके उल्लंघन में है

(13) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जा.रि/2023/263 दिनांक 24.04.2023 से खाद्य कारोबारकर्ता को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2214 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zf)(C)(i), धारा 26 की उपधारा 2(ii) एंव खाद्य सुरक्षा एंव मानक नियम 2020 के अध्याय 2 में Contravention of Regulations No. 5(3)(b)(ii)(D) (Percentage contribution of RDA and quantity of sodium is not mention on label of sample) का उल्लंघन पाया, जो इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्तगण संख्या 01 से 06 दोषी व उतरदायी है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 जयपुर दिनांक 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की दण्डनीय धारा 52 के तहत अभियुक्त संख्या 01 श्री अर्पित जैन पुत्र श्री महेश कुमार जैन मैसर्स आदिनाथ एजेंसी, क्लोथ मार्केट, कुचामन सिटी पर जुर्माना रुपये 5,000/–, अभियुक्त संख्या 02 पंकज कुमार पुत्र श्री शंकर दास मैसर्स श्री बालाजी मॉर्केटिंग बीकानेर पर जुर्माना राशि रूपये 5000/– तथा अभियुक्तगण संख्या 03 से 06 शाहीन मोहम्मद मर्चेट भागीदार एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी भावनगर, मोहम्मद हुसेन दोस्त मोहम्मद मर्चेट भागीदार एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी भावनगर, गुलनाज मोहसीनली रफीक भागीदार एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी भावनगर, कम्पनी एम आर न्यूट्रिमेन्ट एलएलपी भावनगर पर सयुक्त रूप से जुर्माना राशि रूपये 50,000 की शास्ति कुल राशि रूपये 60,000 अक्षरे रूपये साठ हजार मात्र की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रमाणित प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्तगण से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्तगण निर्धारित समयावधि में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 18:10:31 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम अर्पित जैन एंव अन्य

शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

आदेश दिनांक 26.02.2024 को टंकण करवाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

26/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला कलक्टर, कुचामनसिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:31 IST
Reason: SelfAttested